भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद
अंसारी नगर, दिल्ली-110029

सं.6-2(9)/2024-स्था. **दिनांक: 24 दिसंबर 2025**

कार्यालय आदेश

विषय- सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से सहायक के पद पर पदोन्नति के संबंध में।

******

दिनांक 04.12.2025 के ओए सं. 849/2025 के संबंध में माननीय केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (CAT), प्रधान पीठ, नई दिल्ली के द्वारा पारित निदेशों का अनुपालन करते हुए, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स), नई दिल्ली द्वारा **सहायक (पे मैट्रिक्स का स्तर-6; ₹35,400-1,12,400)** के पद के लिए **08 दिसम्बर, 2024 (रविवार)** को आयोजित की गई सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा (एलडीसीई) में चयनित अभ्यर्थियों का अंतिम परिणाम पुनः तैयार किया गया है और परिषद मुख्यालय, नई दिल्ली के निम्नलिखित अवर श्रेणी लिपिकों को पे मैट्रिक्स के स्तर-6 (₹35,400-1,12,400) में सहायक के पद पर पदोन्नति प्रदान की जाती है:-

क्र. सं.	स्टाफ का नाम	जिस श्रेणी के अंतर्गत उम्मीदवार का चयन हुआ है	टिप्पणियाँ
1.	श्री अभिमन्यु	अना.	पदोन्नति दिनांक 24.02.2025 से सैद्धांतिक रूप से प्रभावी मानी जाएगी, अर्थात वो तारीख़ जिस दिन अन्य योग्य अभ्यर्थियों ने परिषद मुख्यालय में सहायक के पद पर कार्यभार ग्रहण किया था। हालांकि, वित्तीय लाभ परिषद मुख्यालय में सहायक के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की वास्तविक तिथि से ही प्राप्त होंगे।
2.	श्री विनीत	अना.	
3.	श्री किशोर तोमर	अना.	
4.	श्रीमती सोनिया सोलंकी	अना.	
5.	श्री नीरज कुमार	अना.	
6.	श्री संदीप पवार	अना.	
7.	श्री सतेन्द्र कुमार	अना.	
8.	श्री सूरज चौहान	अना.	

2. उन्हें निदेश दिया जाता है कि वे इस आदेश की प्राप्ति की तारीख से 10 दिनों के भीतर नियमित आधार पर पदोन्नत पद को ग्रहण करने के लिए अपनी स्वीकृति दें तथा कार्यभार ग्रहण करें। यदि 10 दिनों की निर्धारित अवधि के भीतर उनसे स्वीकृति प्राप्त नहीं होती है, तो यह माना जाएगा कि पदाधिकारी पदोन्नति स्वीकार करने के इच्छुक नहीं हैं तथा यह पदोन्नति आदेश आगे किसी अन्य नोटिस की प्रतीक्षा किए बिना स्वतः ही रद्द हो जाएगा। स्वीकृति प्रस्तुत करने के लिए या अन्यथा पदोन्नत पद का कार्यभार ग्रहण करने के लिए बाध्यकारी आधारों को छोड़कर समय बढ़ाने का अनुरोध स्वीकार नहीं किया जाएगा।
3. वे सहायक के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तारीख़ से 2 वर्ष की अवधि तक परिवीक्षा पर रहेंगे और भारत में कहीं भी सेवाएं प्रदान करने के लिए उत्तरदायी होंगे।
4. उनका वेतन सीसीएस (संशोधित वेतन) नियमावली, 2016 की सिफारिशों के अनुसार नियत किया जाएगा।
5. उन्हें पद का कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से एक माह के भीतर यह विकल्प देना होगा कि वे नए पद का नियत वेतन लेंगे, या पदोन्नत पद, निजी सचिव के पद का कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से या 7वें केन्द्रीय वेतन आयोग के वेतन मैट्रिक्स के पिछले वेतन स्तर में उनकी अगली वेतन वृद्धि की तारीख से वेतन लेंगे।
6. यदि वे अपनी पदोन्नति स्वीकार करने से इंकार कर देते हैं तो उन्हें आगे तब तक वित्तीय उन्नयन (अपग्रेडेशन) के लिए पात्र नहीं माना जाएगा, जब तक कि वे पुनः पदोन्नति हेतु विचार किए जाने के लिए सहमत नहीं हो जाते।
7. निर्धारित अवधि के भीतर पदोन्नत पद पर कार्यभार ग्रहण करने में असफल रहने की स्थिति में, उन्हें एक वर्ष के लिए पदोन्नति से वंचित कर दिया जाएगा एवं डीओपीटी के दिनांक 1 अक्टूबर 1981 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 22034/3/81-स्था.(डी) के अनुसार, वंचित अवधि के दौरान पदोन्नति का कोई नया प्रस्ताव नहीं दिया जाएगा।
8. वे परिषद की सेवा की सामान्य शर्तों एवं नियमों के अधीन होंगे।
9. यह पदोन्नति कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) के दिनांक 15.06. 2018 के कार्यालय ज्ञापन सं. 36012/11/2016-स्था. (आरईएस-I) {भाग-II} में बताए गए विभिन्न मामलों में और/या आरक्षण और/या पदोन्नति में आरक्षण से संबंधित किसी अन्य मामले में माननीय सुप्रीम कोर्ट के आगे के आदेशों के अधीन होगा।

रीमा शर्मा

सहायक महानिदेशक (प्रशा.)

सेवा में,

सभी संबंधित पदाधिकारी (8)- इस अनुरोध के साथ कि कार्यभार ग्रहण की/पदोन्नति अस्वीकार करने की रिपोर्ट, जैसा भी मामला हो, संबंधित प्रभाग-प्रमुख के माध्यम से admin1.hq@icmr.gov.in और ao.rpcell@icmr.gov.in पर भेजें।

प्रतिलिपिः-

1. परिषद के महानिदेशक/अपर महानिदेशक(एस.पी.)/अपर महानिदेशक(ए.एस.)/वरिष्ठ उप महानिदेशक (प्रशा.)/वरिष्ठ वित्त सलाहकार के निजी सचिव।
2. उपमहानिदेशक(प्रशा.)/सहायक महानिदेशक(प्रशा.)/सहायक महानिदेशक(वित्त), परिषद मुख्यालय।
3. आहरण एवं वितरण अधिकारी/बिल अनुभाग, परिषद मुख्यालय।
4. वरि. प्रशासन अधिकारी (स्था.), परिषद मुख्यालय।
5. प्रशासन अधिकारी (आरक्षण प्रकोष्ठ), परिषद मुख्यालय।
6. सतर्कता/लेखा-VI अनुभाग/कानूनी प्रकोष्ठ, परिषद मुख्यालय।
7. नोडल अधिकारी, सूचना का अधिकार डेस्क, परिषद मुख्यालय।
8. बजट/गार्ड फ़ाइल।